न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/91/2019 दायर दिनांक 14.11.2019

उनवान

1. किशनलाल पिता देवजी काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. नानुराम पिता देवजी काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादीगण

बनाम

1. मु0 उगमीबाई बेवा मियाराम काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भेरूलाल पिता मियाराम काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मांगीलाल पिता मियाराम काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. मु0 रतनीबाई पुत्री मियाराम काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मु0 सोहनीबाई पुत्री मियाराम काछी आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 14.02.2024

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा काछियाखेडी तहसील कपासन में साबिक पैमायश की आराजी नम्बर 12 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा स्थित थी जिसमें मियाराम पिता कनीराम काछी नि0 काछियाखेडी का 1/6 हिस्सा था तथा उक्त हिस्सा वादीगण ने दिनांक 17.01.1989 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये 6000 छः हजार रूपया में उक्त मियाराम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा तब से उक्त 1/6 हिस्सा की जमीन पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

उक्त आराजी नं0 12 के उक्त 1/6 हिस्से के हाल पैमायश में आराजी नम्बर 22 रकबा 0.06 हैक्ट0 कायम हुए हैं तथा उक्त आराजी पर वादीगण काबिज हैं।

यह कि उक्त आराजी वादीगण के काश्तकार होने से व अज्ञानता से राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर अंकित नहीं होने की जानकारी नहीं हो सकी और इस कारण से उक्त आराजी नं0 22 अन्य आराजीयात के साथ वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज चली आ रही है चूंकि प्रतिवादीगण मृत्तक मियारामजी के वारिसान हैं तथा मियारामजी की मृत्यु हो चुकी हैं, इस प्रकार उक्त आराजी पर इनका कोई हक व कब्जा नहीं है और उक्त आराजी नं0 22 के वादीगण खातेदारी होकर काबिज हैं अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण का नाम हटाया जा कर वादीगण के नाम पर खातेदारी अधिकार से अंकित की जानी चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:44 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा तो आनाकानी करते हैं अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 10/10/2019 से हैं व निरंतर पैदा हो रही हैं।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम काछियाखेडी तहसील कपासन की आराजी नं0 22 रकबा 0.06 हैक्टर के वादीगण खातेदारी काश्तकार हो कर काबिज हैं तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम पर गलत अंकित हैं अतः राजस्व रेकार्ड की शुद्धि कर उक्त आराजी वादीगण के नाम पर खातेदारी अधिकार से अंकित की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पूर्व में दिनांक 31.03.2021 को प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 6 के विरूद्ध दिनांक 16.12.2022 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादी किशनलाल, व नानुराम के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवंत् 2032–2035 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवंत् 2072–2075 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, नकल मिलान शीट क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रदर्श–5 है।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार है–

1. वादीगण ने गत पैमायश के आराजी नम्बर 12 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा में से मियाराम काछी का 1/6 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.01.1989 को 6000/– रूपये में वादीगण को विक्रय कर कब्जा दिया।
2. उक्त आराजी नम्बर 12 के उक्त 1/6 हिस्से के वर्तमान पैमायश में आराजी नम्बर 22 रकबा 0.06 हैक्ट0 बने है।
3. वादपत्र की तायद में दस्तावेज पेश किये है व एकतरफा साक्ष्य में वादीगण किशनलाल, नानुराम PW-1, PW-2 के शपथ पत्र पेश किये है।
4. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही है व कोई एतराज नहीं किया है।

अतः जैरबहस आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र व वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। साबिक जमाबन्दी संवंत् 2032–2035 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 12 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में मियाराम पिता कन्नीराम काछी का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मियाराम पिता कन्नीराम काछी द्वारा आराजी संख्या 12 में से अपना 1/6 हिस्सा वादीगण को विक्रय किया गया है। प्रदर्श–4 मिलान खसरा में साबिक आराजी संख्या 12 में से हाल आराजी संख्या 22 रकबा 0.06 हैक्ट0 बने है। उक्त हाल आराजी संख्या 22 वर्तमान में मियाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः वादीगण द्वारा चाही गयी दाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये न ही कोई उजर एतराज प्रस्तुत किया। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों को ही आधार मानकर वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा काछियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की आराजी सं0 22 रकबा 0.06 है0 में किशनलाल पिता देवजी 1/2 जाति काछी, नानुराम पिता देवजी 1/2 जाति काछी सा0 काछियाखेडी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:44 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन